**भारत सरकार**
**रक्षा मंत्रालय**
**सैन्य कार्य विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2219**
**04 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए**

**सशस्त्र बलों के अवशिष्ट का निपटान**

2219. **श्री उत्तम कुमार रेड्डी:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी आदेश का अनुपालन नहीं किया है जिसमें सशस्त्र बलों के अवशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवशिष्टों की मात्रा और प्रकारों तथा इनके निपटान के तरीकों का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इन रिकॉर्डों की विषयवस्तु का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एनजीटी द्वारा उल्लिखित समस्याओं को सुधारने के लिए अवशिष्ट निपटान के बेहतर तरीकों के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)**

(क) और (ख): पूरे देश में भारतीय सेना के सभी सैन्य स्टेशनों और छावनियों में अपशिष्ट का संग्रहण और इसका निपटान मल सफाई संविदा के जरिए किया जा रहा है। अपशिष्ट का निपटान स्थानीय नगर निगम के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

नौसैन्य इकाइयां अपशिष्ट के निपटान के लिए एनजीटी के आदेश का पालन कर रही है। दिनांक 31 अगस्त, 2018 के नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालनार्थ संशोधित

एनजीटी आदेश में उल्लिखित लेखा परीक्षा की संस्तुत प्रणाली का सभी नौसैन्य इकाइयों में कार्यान्वयन किया गया है।

भारतीय वायुसेना के सभी इकाइयों में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। इसी प्रकार, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और डीजीएएफएमएस कार्यालय के द्वारा जारी जैव चिकित्सीय नियम 2016 के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) तीनों सशस्त्र सेनाओं अर्थात सेना, नौसेना एवं वायुसेना द्वारा अपशिष्ट निपटान के अभिलेखों का केन्द्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट इत्यादि सहित अपशिष्टों का प्रबंधन मौजूदा विनियमों के अनुसार किया जाता है।

(घ) सशस्त्र सेनाओं में अपशिष्ट निपटान की विधियां राज्य की मौजूदा नीतियों के अनुरूप हैं, जिनका अंततः एनजीटी के आदेशों का अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, निपटान की विधियों की एनजीटी/राज्य/भारत सरकार के निर्देशों/नीतियों और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के आधार पर समय-समय समीक्षा की जाती है।

***